प्रेस नोट दिनांक 09.10.2019
थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली

थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. दुष्यन्त कुमार 2. अतुल गर्ग 3. पंकज कुमार 4. राजकुमार के कब्जे से 145 पेटी देशी शराब नाजायज (प्रत्येक पेटी में 45 पव्वा कुल 6525 पव्वा) जो गाडी कैन्टर नं0 UP 12 AT 0257 की बॉडी मे अवैध शराब के परिवहन हेतु बाक्स बनवाया हुआ है, से बरामद की गयी व कार स्विफ्ट नं0 HR 18 C 2906 व अवैध शराब की बिक्री से अर्जित किये हुए 40000 रूपये नगद, एक मिलिट्री आई डी कार्ड, 4 अदद मोबाईल फोन बरामद किये गये, बरामदा शराब व सम्बन्धित वाहनों की अनुमानित कीमत 15,00,000/- रूपये (पन्द्रह लाख रूपये) है व 04 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली श्री शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद बरेली में चलाये जा रहे अवैध शराब/अफीम/गांजा/चरस/स्मैक की रोकथाम व अपराधियो के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री संसार सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज श्री जगमोहन सिंह बुटौला के निर्देशन में आज दिनांक 09.10.2019 प्रभारी निरीक्षक श्री राज कुमार तिवारी थाना फतेहगंज पश्चिमी मय व0उ0नि0 श्री शुजाउर रहीम मय हमराह पुलिस बल के साथ मुखबिर की सूचना पर ANA कालेज मोड थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली के पास संदिग्धता के आधार पर एक गाडी कैन्टर नं0 UP 12 AT 0257 को रोककर चैक किया गया जिसे **राजकुमार पुत्र महेन्द्र निवासी पावली थाना कंकरखेडा जिला मेरठ** चला रहा था, उक्त कैन्टर की बॉडी मे अलग से बने बाक्स जिसमे 145 पेटी देशी शराब (जिनमे प्रत्येक पेटी में 45 पव्वा कुल पव्वा 6525) बरामद की गयी व साथ मे चल रही गाडी स्विफ्ट नं0 HR 18 C 2906 को रोककर चैक किया जिसमें उपरोक्त बरामदा शराब से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1. दुष्यन्त कुमार पुत्र प्रकाश चन्द निवासी ग्राम बाडम थाना रोहटा जिला मेरठ 2. अतुल गर्ग 3. पंकज कुमार पुत्रगण राधेश्याम निवासीगण म0नं0 140 सेक्टर 4 शास्त्रीनगर, मेरठ हिरासत मे लिये गये। अवैध शराब के बारे मे पूछा तो बताया कि हम इस शराब को हरियाणा से लखनऊ ले जाकर उचित दरो में बेच कर धन अर्जित करते है।** उपरोक्त अभियुक्तगण **1. दुष्यन्त कुमार पुत्र प्रकाश चन्द 2. अतुल गर्ग 3. पंकज कुमार पुत्रगण राधेश्याम 4. राजकुमार पुत्र महेन्द्र निवासीगण उपरोक्त** के कब्जे से **145 पेटी देशी शराब नाजायज (प्रत्येक पेटी में 45 पव्वा कुल 6525 पव्वा) व गाडी कैन्टर नं0 UP 12 AT 0257 व कार स्विफ्ट नं0 HR 18 C 2906 व अवैध शराब की बिक्री से अर्जित किये हुए 40000 रूपये नगद, एक मिलिट्री आई डी कार्ड, 4 मोबाईल फोन बरामद किये गये , बरामदा शराब व सम्बन्धित वाहनो की अनुमानित कीमत 15,00,000/- रूपये (पन्द्रह लाख रूपये) है।** अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली पर **मु0अ0सं0 358/19** धारा 255,171,420,467,468,471,34 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. दुष्यन्त कुमार पुत्र प्रकाश चन्द निवासी ग्राम बाडम थाना रोहटा जिला मेरठ
2. अतुल गर्ग पुत्र राधेश्याम निवासीगण म0नं0 140 सेक्टर 4 शास्त्रीनगर, मेरठ
3. पंकज कुमार पुत्र राधेश्याम निवासीगण म0नं0 140 सेक्टर 4 शास्त्रीनगर, मेरठ
4. राजकुमार पुत्र महेन्द्र निवासी पावली थाना कंकरखेडा जिला मेरठ

बरामदगीः-

145 पेटी देशी शराब नाजायज (प्रत्येक पेटी में 45 पव्वा कुल 6525 पव्वा) व गाडी कैन्टर नं0 UP 12 AT 0257 व कार स्विफ्ट नं0 HR 18 C 2906 व अवैध शराब की बिक्री से अर्जित किये हुए 40000 रूपये नगद, एक मिलिट्री आई डी कार्ड, 4 अदद मोबाईल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राज कुमार तिवारी, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली
2. व0उ0नि0 श्री शुजाउर रहीम, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली
3. उ0नि0 संजय सिंह, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली
4. का0 2130 तरूण यादव, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली
5. का0 2624 सतेन्द्र कुमार, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली
6. का0 326 पंकज चौधरी, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली